



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 14.02.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0स0 38/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गर्व उर्फ गोलू पुत्र स्व0 श्री बिट्टू उर्फ प्रवीण निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 198/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2. मु०अ०सं० 38/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3. मु०अ०सं० 311/20 धारा 302/34 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत
4. मु०अ०सं० 202/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### गिरफ्तारी का समय व स्थान

दिनांक 13.02.26 समय 23.50 बजे पानी की टंकी के पास सराय रोड कस्बा बिनौली

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2- है०का० 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3 का० 1115 राहुल तिवारी बिनौली जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बिनौली

दिनांक 14.02.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना

बिनौली पर मु0अ0स0 39/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**महत्वपूर्ण सूचना:-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

अमित कुमार उर्फ नकुल पुत्र प्रविन्द्र निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**



- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस ।

### गिरफ्तारी का दिनांक व समय व स्थान

दिनांक 14.02.26 समय 00.23 बजे ग्राम रंछाड कट जंगल ग्राम रंछाड

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2- है0का0 711 लेखराज सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बिनौली

दिनांक- 14.02.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 39 पाउच देशी शराब बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 39 पाउच देशी शराब बरामद हुई हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 40/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शकील पुत्र नजरुद्दीन निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 35 वर्ष ।

## बरामदगी का विवरण-

- 39 पाउच देशी शराब ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3.का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

